क्रम संख्या—187

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 1610

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

(26)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 फरवरी, 1995

माघ 24, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 379/सत्रह-वि-1--1 (क) 9-1995

लखनऊ, 13 फरवरी, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 11 फरवरी, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 19 अक्तूबर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1974 की धारा 39-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 39-क के परन्तुक में, खण्ड (क) में शब्द "दो रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 389 (2)/XVII-V-1—1(KA) 9—1995

Dated Lucknow, February 13, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojna Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 11, 1995.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1995

[U. P. Act no. 1 of 1995]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 19, 1994.

Amendment of section 39-A of President's Act no. 11 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974

2. In section 39-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in the proviso, in clause (*a*), *for* the words "rupees two" the words "rupees one hundred" shall be *substituted*.

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 281 सा० (विधा०)—(3580)—1995—850 (मैक०)।